न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: दमयंती कंवर
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 168/2016

रामसरण गोस्वामी पुत्र जमनपुरी जाति गोस्वामी गोस्वामी निवासी गुसाई की ढाणी तन कारी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

–आवेदक

बनाम

1. शिशराम पुत्र झूमापुरी जाति गोस्वामी निवासी गुसाई की ढाणी तन कारी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
2. श्रीमती दुर्गी पत्नी झुमापुरी जाति गोस्वामी निवासी गुसाई की ढाणी तन कारी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
3. देवकरण पुत्र शिशुपाल जाति जाट निवासी कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
4. शिम्भू पुत्र शिशुपाल जाति जाट निवासी कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
5. सुरेशराम पुत्र शिशुपाल जाति जाट निवासी कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
6. श्रीमती विमला देवी पत्नी शिवदान सिंह जाति जाट निवासी नेहरो की ढाणी तन कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
7. मूलचन्द पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी नेहरो की ढाणी तन कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
8. मोघापुरी पुत्र किशनपुरी जाति गोस्वामी निवासी गुसाई की ढाणी तन कारी तहसील नवलगढ नवलगढ जिला झुन्झुनू।
9. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू।
10. बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा जाखल जरिये शाखा प्रबन्धक बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
11. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा जरिये शाखा प्रबन्धक बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कारी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

–अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

निर्णय दिनांक 16.03.2021

आवेदकगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि कि राजस्व ग्राम गुसाई की ढाणी तहसील नवलगढ स्थित भूमि खसरा नम्बर 1043 रकबा 4.26 हैक्टर में से अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 के द्वारा अपनी खातेदारी की जमीन अन्य लोगो के हक में विक्रय किये जाने के बाद अप्रार्थी नम्बर 01 की अपनी खातेदारी की जमीन 0.1633 हेक्टर शेष रही जो इस जमीन की जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 में नामान्तकरण संख्या 110 दिनांक 5.09.201 के सम्बन्ध में की गई प्रविष्ठियों से स्पष्ट है।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी खातेदारी की जमीन 0.1633 हैक्टर में से 177.77 वर्ग गज जमीन जो 148.6988 वर्ग मीटर के समान होती है प्रार्थी को विक्रय कर दी व इस जमीन के पेटे प्रतिफल राशि प्राप्त कर दिनांक 12.01.2012 को प्रार्थी के हक में विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवा दिया तथा इस जमीन का कब्जा प्रार्थी का करवा दिया। उसके बाद अप्रार्थी नम्बर 1 ने अपनी खातेदारी की जमीन वर्णित धारा 2 व 3

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:18:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र में से 955 वर्गमीटर और जमीन की पूर्व में उक्त अनुसार विक्रय की गई जमीन से लगती हुई प्रार्थी को विक्रय की तथा इस जमीन के पेटे भी सम्पूर्ण प्रतिफल राशि से प्राप्त कर दिनांक 25.05.2012 को इस जमीन के बाबत प्रार्थी के हक में विकय पत्र पंजीकृत करवा कर इस जमीन का कब्जा भी प्रार्थी को दे दिया। इस प्रकार प्रार्थी उक्त उक्तानुसार विकय पत्र दिनांक 12.01.2012 के अनुसार 148.6988 वर्गमीटर व विकय पत्र दिनांक 25.05.2012 के अनुसार 955 वर्गमीटर इस प्रकार कुल 0.11 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार है व काबिज है, परन्तु प्रार्थी द्वारा कयशुदा जमीन के बाबत प्रार्थी के नाम से नामान्तकरण तस्दीक नही होने से इस भूमि वर्णित धारा 1 वाद पत्र के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी आदि में प्रार्थी का नाम दर्ज नही हो सका। इसलिये प्रार्थी द्वारा उक्त अनुसार कय की गई 0.11 हैक्टर भूमि का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी आदि अप्रार्थी नम्बर 01 के नाम से ही चलता रहा। उक्त अनुसार कयशुदा 0.11 हैक्टर भूमि पर कय किये जाने के रोज से प्रार्थी इस जमीन का खातेदार काश्तकार है व काबिज है तथा इस भूमि का राजस्व रिकार्ड अप्रार्थी नम्बर 01 के नाम से गलत दर्ज रहा जो प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकारों के खिलाफ अवैध नल एण्ड वोईड शून्य बेअसर व निष्प्रभावी रहा। प्रार्थी उक्त अक्तानुसार उसके हक में इस जमीन के बाबत करवाये गये पंजिकृत विक्रय पत्रों के आधार पर जमीन जेर बहस वर्णित धारा 1 व 2 वाद पत्र में से 0.11 हेक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार है व काबिज है तथा रजिस्टर्ड विकय पत्रों के आधार पर प्रार्थी जमीन जेर बहस पर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवा कर जमीन 1 वर्णित धारा 1 व 2 वाद पत्र मे से 0.11 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार अपने आपको घोषित करवाने का अधिकारी है।

अप्रार्थीगण नम्बर 01 व 02 आपस में माता पुत्र है। अप्रार्थीगण नम्बर 01 लगायत 08 ने आपस में साजिश करके प्रार्थी को उसकी खातेदारी की 0.11 हैक्टर की भूमि के हक अधिकारों से वंचित रखने के लिए अप्रार्थी नम्बर 02 से एक दावा उनवानी दुर्गी बनाम शीशराम वगैरह दावा बाबत विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 303/11 न्यायालय श्रीमान मे प्रस्तुत किया जिसमें प्रार्थी उक्त अनुसार 0.11 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार होने के बावजूद प्रार्थी को उक्त दावा में पक्षकार नही बनाया गया न किसी प्रकार से सुनवाई का कोई अवसर दिया गया। उक्त दावा अप्रार्थीगण नम्बर 01 से 08 द्वारा आपस में कोलुजन करके किया जाना इस बात से भी प्रकट होता है कि दावा का अप्रार्थीगण द्वारा किसी का विरोध प्रकट किया जाना प्रकट नही होता। बालाबाला विभाजन प्रस्ताव लिए जाकर दिनांक 29.02.2016 को गलत रूप से प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा को गलत रूप से डिक्री किया गया है। प्राकृतिक न्याय के लिए यह सिद्धान्त प्रतिपादित है कि किसी विवाद को निस्तारित किये जाने से पूर्व हर एक हितबद्ध पक्षकार को सुनवाई का अवसर देते हुये प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए तथा यह भी प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि किसी व्यक्ति की पीठ पीछे दिये गये किसी निर्णय से वह हितबद्ध व्यक्ति बाउण्ड नही होता जिसकी पीठ पीछे बिना सुनवाई का अवसर दिये को निर्णय या डिक्री पारित की गई है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण से सम्बन्धित जमीन के सम्बन्ध में पारित किये गये निर्णय व डिक्री से उक्त परिस्थितियों में प्रार्थी कानून से बाउण्ड नही है। प्रार्थी के इस जमीन वर्णित धारा 2 व 3 प्रार्थना पत्र मे उक्त अनुसार निहित खातेदारी अधिकारों के खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 29.02.2016 एबइनिसियों नल एण्ड वोईड है तथा उक्त निर्णय व डिक्री से प्रार्थी के जमीन जेर बहस में 0.11हेक्टर हिस्से की भूमि के बाबत प्राप्त हुये हक अधिकार प्रभावित नही होते। इस प्रकार निर्णय व डिक्री दिनांक 29.02.2016 व इसकी अनुपालना में इस जमीन जैर बहस के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी आदि में दर्ज अप्रार्थीगण नम्बर 1 से 8 के नाम की प्रविष्ठियां एबइनिसियों नल एंड वोईड होते हुये निष्प्रभावी हे व काबिले दुरूस्ती है। प्रार्थी उक्त अनुसार 0.11 हेक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार है व काबिज है तथा उक्त उक्तानुसार गलत निर्णय व डिक्री की अनुपालना मे बने राजस्व रिकार्ड से प्रार्थी पाबन्द नही है।

दिनांक 21.08.2016 को अप्रार्थीगण नम्बर 1, 2 ने प्रार्थी को उसकी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा कर इस भूमि के प्रार्थी के उपयोग उपभोग में बाधा डालने की धमकी दी

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:18:23 IST
Reason: SelfAttested

तथा प्रार्थी से कहा कि अप्रार्थीगण नम्बर 01 से 08 के हक में न्यायालय श्रीमान द्वारा फैसला दिया हुआ है जिसके अनुसार प्रार्थी का नाम इस भूमि के रिकार्ड में दर्ज ही नही है। इस पर प्रार्थी ने न्यायालय में मालूमात किया तो प्रार्थी को निर्णय व डिक्री दिनांक 29.02.2016 के बाबत बताये जाने पर प्रार्थी ने दिनांक 22.08.2016 को निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया जो नकल उसी रोज तैयार की जाकर प्रार्थी को दिये जाने पर प्रार्थी को निर्णय व डिक्री दिनांक 29.02.2016 के बाबत जानकारी हुई। दिनांक 22.08.2016 से पहले प्रार्थी को उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 29.02.2016 के बाबत कोई जानकारी नही थी। उसके बाद दिनांक 24.08.2016 को प्रार्थी ने इस जमीन जैर बहस वर्णित धारा 1 बाद पत्र की जमाबंदी की पटवारी हल्का से नकल प्राप्त की जिसमें विवादित जमीन के राजस्व रिकार्ड ने प्रार्थी का 0.11 हेक्टर भूमि के नाम दर्ज होना नही पाया गया।

प्रार्थी को उक्त अनुसार न्यायालय श्रीमान को निर्णय व डिक्री दिनांक 29.02.2016 व विवादित भूमि के गलत राजस्व रिकार्ड के बाबत जानकारी होने पर प्रार्थी ने दिनांक 25.08.2016 को अप्रार्थीगण नम्बर 01 लगायत 8 से सम्पर्क कर जमीन जैर बहस के राजस्व रिकार्ड को विधिनुकुल दुरूस्त करवा कर बंटवारा करवये जाने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण नम्बर 01 लगायत 08 ने प्रार्थी को इस जमानी जैर बहस का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का विधिवत बंटवारा करवाने से इन्कार कर दिया तथा प्रार्थी का इस जमीन जैर बहस में कोई हक हिस्सा होने से भी इन्कार कर दिया व प्रार्थी को इस जमीन में 0.11 हैक्टर भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा डालने की धमकी दी व इस जमीन को इस जमीन के गलत राजस्व रिकार्ड की आड़ में अन्य किसी के हक में विकय कर विकय पत्र पंजिकृत करवाने की धमकी दी। इसलिए प्रार्थी को अपने हकूको की रक्षार्थ यह दावा करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थी/वादी का बहुत ही स्ट्रांग प्राईमा फेसी केस है तथा मामला अर्जेन्ट नेचर है। प्रार्थी रजिस्टर्ड विकय पत्र के द्वारा विवादित जमीन के 0.11 हेक्टर हिस्से का खातेदार काश्तकार है व काबिज है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही कर दिया जाता है तब तक उसके सत्य होने की उपधारणा कानून में है। राजस्व न्यायालय रजिस्टर्ड विकय पत्र के बाबत इसके गलत या अवैध कहने मे सक्षम नही है। सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के हक में है। यदि दौराने दावा अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1043 में से 0.11 हैक्टर भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा डालेगा या इस भूमि को किसी अन्य के हक में विक्रय कर देगें तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति जरे नकद से भी सम्भव नही हो सकेगी। इसलिए अप्रार्थीगण को विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर अनुतोष के संबंध में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण दौराने दावा भूमि खसरा नम्बर 1043 तादादी 4.26 हैक्टर वाके ग्राम गुसाई की ढाणी तन कारी मे से 0.11 हेक्टर भूमि के प्रार्थी के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार से बाधा नही डाले व इस भूमि को किसी अन्य के हक में विक्रय करे इसे खुर्द-बुर्द नही करे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अनोदकगण की गई। अनावेदक नं. 1 लगायत 11 की सम्यक तलबी होने के उपरान्त इनकी ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय नही होने के फलस्वरूप इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रकरण में समस्त अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने पर बहस वकील आवेदक सुनी गई। बहस के दौरान वकील आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यो को ही दौहराया गया। अतः बहस तथ्यों पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम गुसाई की ढाणी संम्वत् 2067 से 2070 के अनुसार भूमि ख.न. 1043 रकबा 04.26 हैक्टर की खातेदारी शिशुपाल पुत्र हणमान जाति जाट हिस्सा 3.39 हैक्टर, मूलचन्द पुत्र सुल्तान हिस्सा 1/3 जाति जाट

ए. सी. ई. एम. (फा. दे.)
नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:18:23 IST
Reason: SelfAttested

निवासी नेहरो की ढाणी तन कोलसिया, शिशराम पुत्र झुमापुरी दुर्गी पत्नी झुमापुरी जाति गुसाई हिस्सा 2/3 दर हिस्सा 0.82 हैक्टर, मोघाराम पुत्र किशनपुरी गुसाई हिस्सा 0.05 हैक्टर साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी खातेदारी की जमीन 0.1633 हैक्टर में से 177.77 वर्ग गज जमीन जो 148.6988 वर्गमीअर के समान होती है प्रार्थी को विक्रय कर दी व इस जमीन के पेटे प्रतिफल राशि प्राप्त कर दिनांक 12.01.2012 को प्रार्थी के हक में विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवा दिया तथा इस जमीन का कब्जा प्रार्थी का करवा दिया। उसके बाद अप्रार्थी नम्बर 1 ने अपनी खातेदारी की जमीन वर्णित धारा 2 व 3 प्रार्थना पत्र में से 955 वर्गमीटर और जमीन की पूर्व में उक्त अनुसार विकय की गई जमीन से लगती हुई प्रार्थी को विक्रय की तथा इस जमीन के पेटे भी सम्पूर्ण प्रतिफल राशि से प्राप्त कर दिनांक 25.05.2012 को इस जमीन के बाबत प्रार्थी के हक में विकय पत्र पंजीकृत करवा कर इस जमीन का कब्जा भी प्रार्थी को दे दिया। इस प्रकार प्रार्थी उक्त उक्तानुसार विकय पत्र दिनांक 12.01.2012 के अनुसार 148.6988 वर्गमीटर व विकय पत्र दिनांक 25.05.2012 के अनुसार 955 वर्गमीटर इस प्रकार कुल 0.11 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार है व काबिज है, उपलब्ध रिकार्ड एवं तथा विकय पत्र के आधार पर प्रमाणित है। परन्तु प्रार्थी द्वारा कयशुदा जमीन के बाबत प्रार्थी के नाम से नामान्तकरण तस्दीक नही होने से इस भूमि वर्णित धारा 1 वाद पत्र के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी आदि में प्रार्थी का नाम दर्ज नही हो सका। इसलिये प्रार्थी द्वारा उक्त अनुसार कय की गई 0.11 हैक्टर भूमि का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी आदि अप्रार्थी नम्बर 01 के नाम से ही चलता रहा। उक्त अनुसार कयशुदा 0.11 हैक्टर भूमि पर कय किये जाने के रोज से प्रार्थी इस जमीन का खातेदार काश्तकार है व काबिज है तथा इस भूमि का राजस्व रिकार्ड अप्रार्थी नम्बर 01 के नाम से गलत दर्ज रहा जो प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकारों के खिलाफ अवैध नल एण्ड वोईड शून्य बेअसर व निष्प्रभावी है। प्रार्थी उक्त उक्तानुसार उसके हक में इस जमीन के बाबत करवाये गये पंजिकृत विक्रय पत्रों के आधार पर जमीन 0.11 हेक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार है व काबिज है तथा रजिस्टर्ड विकय पत्रों के आधार पर प्रार्थी जमीन राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवा कर जमीन 1043 रकबा 4.26 हैक्टर मे से 0.11 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है। अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अलम में लायी गयी है। अतः इस स्थिति में आवेदक की प्रार्थना पत्र स्वीकार कन्फर्म किया जाना उचित एवं न्यायोचित है।

आदेश

आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। ग्राम गुसाई की ढाणी तन कारी की वादग्रस्त आराजीयात भूमि ख.न. 1043 रकबा 4.26 हैक्टर मे से 0.11 हैक्टर की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये जाने हेतु अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 05.09.2016 में भूमि ख.न. 1043 रकबा 4.26 में से आवेदक के 0.11 हैक्टर को रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखने हेतु ता दावा निर्णय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म की जाती है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो तथा प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर एवं अतिरिक्त मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:18:23 IST
Reason: SelfAttested